

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

राजस्‍व विविध प्रकरण GCMS NO 2025/64

दायरा तिथि : 21.01.2025

आदेश तिथि : 13-02-25

प्रार्थी :- परेश कुमार पुत्र दलाराम जाति रावल ब्राह्मण निवासी भंदर तहसील बाली

ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 13-02-25

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपटित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रूगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 493 रकबा 0.3800 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम रूगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 492 रकबा 1.8100 हैक्टर, खसरा नंबर 467 रकबा 0.16 हैक्टर व खसरा नंबर 468 रकबा 0.1600 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय बाली ने जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. प्रार्थी के खेत से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
2. प्रस्तावित रास्ता निकटतम दूरी का रास्ता है।
3. प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित नहीं है।
4. यह है कि ग्राम रूगनाथपुरा में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	467	0.16 हैक्टर	बा. दो.	40x6=240 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
2	492	1.81 हैक्टर	बा.दो.	110x6=660 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

5. प्रस्तावित भूमि की पंजीयन कार्यालय अनुसार डी.एल.सी. दर 1,30,000रु/- रूपये प्रति हैक्टर है।

यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण में नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंघा की गई। नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम रूगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 493 रकबा 0.3800 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।



सहायक क्लर्क एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.....02

/ / 02 / /
 राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2025 / 64
 अनवान परेश कुमार बनाम सरकार
 अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 संपादित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) सशोधन नियम, 2012 तथा इस संख्या में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक 3(52) राज 6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों/शक्तियों के अनुरारण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रुगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 493 रकबा 0.3800 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम रुगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 492 रकबा 1.8100 हैक्टर व खसरा नंबर 467 रकबा 0.16 हैक्टर में से 900 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए नाथब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रस्तावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति वर्ग मी.) रुपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 1,30,000/-रुपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
467	0.16 हैक्टर	40X6=240 वर्गमीटर	13	3120X2=6240	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
492	1.81 हैक्टर	110X6=660 वर्गमीटर	13	8580X2=17160	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 23400/- (अक्षरे तेईस हजार चार सौ रुपये मात्र) रुपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। नाथब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे। तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरगीम कर पालना प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति राभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिनाल फंसल शुमार होकर नंबर से कम हो।





क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 148-152
 प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 वेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक परेश कुमार पुत्र दलाराम जाति रावल ब्राहमण निवासी भंदर तहसील बाली को सूचनाार्थ।

सहायक जिला अधिकारी, बाली
 उपखण्ड अधिकारी, बाली
 दिनांक : 18-2-25

सहायक जिला अधिकारी, बाली
 उपखण्ड अधिकारी, बाली

सामं कानिनीय कुं २१ नं. ११११



सहायक कलेक्टर एवं प्रदेन

असह्य अधिकारी, बली

08/2/2025

अपड

०१/११